

FORM NO -III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत कलक्टर,

मुकाम

नागौर

अपीलान्त
नाथूखां पुत्र मिसूखां जाति लौहार
निवासी डोडियाना तहसील रियांबड़ी
जिला नागौर

बनाम

रेस्पोंडेंट

रावतसिंह पुत्र सबलसिंह आयु 88
वर्ष जाति राजपूत निवासी
डोडियाना तहसील रियांबड़ी जिला
नागौर

किस्म मुकदमा - राजस्व अपील संख्या 51 सन् 2021

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए |
|-------------|--|---|
| 25.06.21 | <p>अपीलान्त ने धारा 225 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत यह अपील, तहसीलदार रियांबड़ी द्वारा प्रकरण संख्या 03/2021 प्रार्थी रावतसिंह पुत्र सबलसिंह प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 21.06.2021 के विरुद्ध प्रस्तुत की है। अपील अपीलान्त दर्ज रजिस्टर हो। अधिनस्थ न्यायालय को मूल रिकार्ड तलब हो। रेस्पोंडेंट्स जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनांक 22.07.2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i> जिला कलक्टर, नागौर</p> | |
| 22/7/2021 | <p>वकील अपीलान्त उपरोक्त अपीलान्त के अन्तर्गत अपीलान्त के अधिनस्थ न्यायालय को मूल रिकार्ड तलब करने हेतु पुनः लिखा जावे। वकील अपीलान्त द्वारा रेस्पोंडेंट्स को सम्मन पुनः पेश करने पर जाती होकर पत्रावली दिनांक 16/8/2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i> कलक्टर, नागौर</p> | |
| 16.8.21 | <p>वकील अपीलान्त उपरोक्त TDR रियांबड़ी ने अपने पत्रांक 1705 दिनांक 20.7.21 से मुकदमा 03/21 सरकार पर नाथूखां वीरू (25) RT Act निर्णय दिनांक 21.6.21 की मूल पत्रावली तलब की है, जो इस पत्रावली के साथ तलब हो। अपीलान्त रेस्पोंडेंट्स को मूल अपीलान्त के अन्तर्गत अपीलान्त के अधिनस्थ न्यायालय को मूल रिकार्ड तलब करने पर जाती होकर पत्रावली दिनांक 9.9.21 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i> कलक्टर, नागौर</p> | |
| 13.9.21 | <p>मंत्रालय दि. 13.9.21 को अपीलान्त के अधिनस्थ न्यायालय को मूल रिकार्ड तलब करने पर जाती होकर पत्रावली दिनांक 13.9.21 को पेश हो। अपीलान्त के अधिनस्थ न्यायालय को मूल रिकार्ड तलब करने पर जाती होकर पत्रावली दिनांक 13.9.21 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i> कलक्टर, नागौर</p> | |



NOT Press
[Signature]

(डा० जितेंद्र कुमार खोनी)
कलक्टर, नागौर